सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (4) के अन्तर्गत जानकारी

Chapter 1
Introduction

कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

1.संगठनात्मक परिचय –

माध्यमिक शिक्षा मण्डल (मा.शि.मण्डल) का गठन 1 नवम्बर 1959 को मध्यप्रदेश राज्य के गठन के साथ–साथ ही तत्कालीन महाकौशल एवं मध्यभारत शिक्षा परिषदों के विलियन के फलस्वरूप हुआ था। माध्यमिक शिक्षा मण्डल का वर्तमान स्वरूप में पुनर्गठन मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 के अधीन हुआ। माध्यमिक शिक्षा मण्डल का हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के संचालन का इतिहास लगभग 64 वर्ष पुराना हो चुका है। समय–समय पर निर्देशित शिक्षा नीतियों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, स्कूल शिक्षा में अपना योगदान दे रहा है। जहां वर्ष 1959–60 के सत्र् की परीक्षाओं में कुल लगभग 80,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे,वहीं वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा में इनकी संख्या 15 लाख से भी उपर पहुंच गई है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्कूली शिक्षा के प्रमुख उत्तरदायित्वों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम निर्धारण करना, परीक्षाओं का संचालन करना, स्कूली संस्थाओं को सम्बद्धता देना, डी.एल एड. परीक्षा का संचालन, आदि सम्मिलित है।

विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के अधीन गठित निकाय होने के कारण माध्यमिक शिक्षा मण्डल का संपूर्ण कार्य और संचालन उस अधिनियम और उनके अन्तर्गत निर्मित विनियम और नियमों के अनुसार किया जाता है। अधिनियम और विनियमों के अन्तर्गत प्रतिस्थापित पदाधिकारीगण एवं समितियां ही उनके अधिकार क्षेत्र के अन्दर सभी निर्णय लेते हैं। पिछले 64 वर्षो के इतिहास में अधिनियम और विनियमों के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल की प्रणाली और प्रक्रियाऐं भी लगातार विकसित हुई है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल इस तथ्य से सजग है कि हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण करना प्रत्येक बालक एवं बालिका के जीवन की एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करना है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल का यह भी दायित्व है कि बालक एवं बालिका परीक्षार्थियों के स्तर का सही आंकलन करते हुए उन्हें हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल की पड़ाव को पार कराये जिससे वे भावी जीवन में अपनी इच्छा,क्षमता और स्तर के अनुरूप अपना अगला लक्ष्य चुन सकें और जीवनयापन के साधन जुटा सकें। इस उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने शिक्षाविदों , प्राचार्यो शिक्षकों आदि से गहन विचार–विमर्श के आधार पर परीक्षा पद्वति को संतुलित बनाने का प्रयास किया है जिससे अधिक से अधिक परीक्षार्थी अपने स्तर के अनुरूप पास करने में सफल हो सकें। माध्यमिक शिक्षा मण्डल को एक पास करने वाली संस्था माना जाना चाहिए,

असफल करने वाली नहीं। इस उद्देश्य में सफलता तभी मिल सकेंगी जब शिक्षण संस्थाओं, वहां के प्रबंधकों और प्राचार्यो ,शिक्षकों और सबसे पहले विद्यार्थियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यह भी अनुभव किया गया कि प्रश्न पत्रों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे शत–प्रतिशत से कम पढाई करने वाले परीक्षार्थियों को भी उनके स्तर के अनुरूप सफल होने के अवसर अवश्य मिलें।

2.माध्यमिक शिक्षा मण्डल का गठन–

3(1) राज्य शासन,यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, ऐसे दिनांक से जो कि अधिसूचना में उल्लेखित किया जाये, एक माध्यमिक शिक्षा मण्डल की स्थापना करेंगा,

(2) मण्डल,माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नाम से एक नियमित निकाय होगा और उसका शासवत उत्तरधिकार तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होंगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा संधारण करने की शक्ति प्राप्त होंगी और उसे इस अधिनियम के अधीन किये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए,उसके द्वारा धारण की गई किसी भी संपत्ति का अंतरण करने तथा संविदा करने तथा उसके गठन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त अन्य कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी और वह उसके नियमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेंगा या उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेंगा।

4(1) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा शासित एक स्वयत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है।

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, की अधिसूचना पत्र दिनांक 02/12/2020 द्वारा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965, (क्र. 23 सन् 1965) की धारा–4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्ड (एक) (दो) (तीन) (चार) (पांच) और (छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा 20 सदस्यों एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) की धारा–4 की उपधारा (1) (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिसूचना पत्र दिनांक 07 जुलाई 2020 द्वारा एक सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

<u>मण्डल सदस्यों की सूची</u> <u>पदेन सदस्य</u> :–

1– अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2– आयुक्त, लोक शिक्षण
3– संचालक, तकनीकी शिक्षा
4– संचालक, चिकित्सा शिक्षा
5– आयुक्त, आदिम जाति कल्याण
6– स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो।
7– आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला लोक शिक्षण संचालनालय का एक अधिकारी जो संयुक्त संचालक की पंक्ति से नीचे का न हो।
8– संचालक, खेलकूद, खेलकूद तथा युवा कल्याण विभाग
9– विश्वविद्यालय का एक कुल सचिव जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(कुलाधिपति जी द्वारा निम्नानुसार नामांकन किया गया है)
डॉ. एस.एस. कुशवाह, कुल सचिव, राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, एयर पोर्ट रोड भोपाल

10– (जज) राज्य के विश्वविद्यालयों की कार्य परिषदों के सदस्यों में से दो सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे।
(1) वर्तमान में रिक्त
(2) वर्तमान में रिक्त

11– स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।
(वर्तमान में रिक्त)

12– वित्त विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो।

13– सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

<u>राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य (20)</u> :–

1– श्री विक्रम सिंह, मान.विधायक, रामपुर बघेलान, जिला–सतना, म.प्र.।
2– श्री राम दांगोरे, मान.विधायक, पंधाना, जिला–खण्डवा, म.प्र.।
3– श्री उमाकांत शर्मा, मान.विधायक, सिरोंज, जिला–विदिशा, म.प्र.।
4– श्री विष्णु खत्री, मान.विधायक, बैरसिया, जिला–भोपाल, म.प्र.।
5– श्रीमती मनीषा सिंह, मान.विधायक, जैतपुर, जिला–शहडोल, म.प्र.।
6– श्रीमती निशा महाराणा, प्राचार्य, सरस्वती विद्या शिक्षा महाविद्यालय, संजीत मार्ग, जिला–मन्दसौर, म.प्र.
7– श्री संजय उपाध्याय, प्राचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, उ.मा.वि. हरदा, जिला–हरदा, म.प्र.।
8– श्रीमती प्रभा मिश्रा, प्राचार्य, शास.म.ल.ब. कन्या उ.मा.वि. नेपियर टाउन, जिला–जबलपुर, म0प्र0।
9– श्री प्रवीण पाराशर, व्याख्याता, सरस्वती शिशु मंदिर, जिला–आगर मालवा, 465441, म.प्र. ।
10– श्री मनोज सर्राफ, 76, नाकोडा, नगर, भण्डारिया रोड, खण्डवा, जिला–खण्डवा, 450001 म.प्र.।
11– श्री विवेक वर्मा, 16/28, माहोर कॉलोनी, मुरैना जिला–मुरैना, म.प्र.।
12– श्री चन्द्रशेखर गढ़वाल, बी.आर.सी.ऑफिस के सामने, आवास कॉलोनी, बनखेड़ी होशंगाबाद, म.प्र.।
13– डॉ.राकेश कुशवाह, म.नं.3340, राय बेकरी के पास, शंकर नगर, बड़ा पत्थर रांझी, पोस्ट खमरिया, जिला– जबलपुर, 482005 म.प्र.।
14– श्रीमती धुरपता मर्सकोले, व्याख्याता, शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खैरलांजी, जिला–बालाघाट, म.प्र.।
15– श्री श्रीनिवास राव, फ्लैट नं.10 एवं 11, चतुर्थ फ्लोर, गंगोत्री अपार्टमेंट, गोलबाजार, शहीद स्मारक जबलपुर, म.प्र.।
16– श्री शिरोमणि दुबे, प्रबंध समिति सचिव, दलवी कॉलोनी, अल्फा स्कूल के पास गुना, जिला–गुना, म.प्र.

17— श्री नीरज खरे, 7/444, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोदाबाग, रीवा—486001, जिला—रीवा, म.प्र.।
18—श्री सत्यनारायण लववंशी, 753 आशीर्वाद नगर, वार्ड क्रमांक 32, संतोषी माता के पीछे, जिला—खण्डवा म.प्र.।
19— श्री रामकुमार भावसार, 1806, हर्षवर्धन नगर, माता मंदिर के पास जिला—भोपाल, म.प्र.।
20—रिक्त (डॉ.अरूण शुक्ला, बी—64, विवेकानंद कॉलोनी, उज्जैन जिला—उज्जैन, म.प्र. का स्वर्गवास होने से)।

मण्डल में कार्यरत समितियां—
1— साधारण—सभा
2— कार्यपालिका समिति
3— परीक्षा समिति
4— वित्त समिति
5— पाठ्यचर्या समिति
6— विषय समिति

3.माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रमुख उत्तदायित्व/कर्तव्य/अधिकारी—

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रमुख उत्तरदायित्व में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की विद्योचित तथा व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी परीक्षाओं के लिए पाठ्चर्या एवं पाठ्यक्रम निर्धारित करना, परीक्षाओं का संचालन करना,स्कूली संस्थाओं को सम्बद्धता देना, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां आयोजित कर पाठ्चर्या एवं शिक्षण को निरन्तर उन्नत करना है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल का संपूर्ण कार्य एवं संचालन विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम और उसके अन्तर्गत विनियमों एवं नियमों के अनुसार किया जाता है। अधिनियम और विनियमों के अन्तर्गत प्रतिस्थापित पदाधिकारीगण एवं समितियां ही उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी निर्णय लेते है।

1. मण्डल द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाएं —

अ— विद्योचित परीक्षायें
1. हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा

ब— व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी परीक्षाएं
1. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट (व्यावसायिक) परीक्षा
2. शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण सर्टिफिकेट परीक्षा
3. पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण सर्टिफिकेट परीक्षा
4. डिप्लोमा इन एज्युकेशन शिक्षा में पत्रोपाधि

2. मण्डल की परीक्षायें —

परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु मण्डल को छात्रों से संबंधित जानकारी एकत्रित करना होती है। इसके लिए सभी सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं से उनकी प्रवेश सूची निर्धारित दिनांक तक प्राप्त की जाती है। प्राप्त प्रवेश सूचियों के आधार पर मण्डल द्वारा शालाओं से ऑनलाईन परीक्षा आवेदन फार्म भरवाये जाते है। स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने वाले छात्रों

के परीक्षा फार्म जिलों में फारवडिंग संस्था/आफीसर के माध्यम से ऑनलाईन भरवाये जाते है।

मण्डल द्वारा सामान्यतः प्रत्येक वर्ष मार्च माह में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था परीक्षा आवेदन पत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कम्प्यूटर से तैयार किये गये पत्रक के आधार पर निर्धारित की जाती है।

छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात उनकी उत्तरपुस्किाओं को मूल्यांकन हेतु गोपनीय रूप से मूल्यांकन केन्द्रों को भेजा जाता है। मूल्यांकन कार्य माह अप्रैल में सम्पन्न किया जाकर माह मई–जून में परीक्षाफल घोषित किया जाता है तथा छात्रों को अंकसूची वितरित की जाती है।

विद्योचित का कार्य –

- मण्डल परीक्षाओं के गोपनीय कार्य हेतु प्राश्निक/अनुसीमक (प्रश्न–पत्र निर्माण) प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन।
- पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यक्रम पुनरीक्षण/संशोधन, अंकयोजना (कार्यशालाओं के माध्यम से) आयोजित करना।
- विषय समिति की बैठकों का आयोजन।
- पाठ्यचर्या समिति की बैठकों में का आयोजन।
- देश के विभिन्न मण्डलों की समकक्षता, ग्राहयता एवं मान्यता संबंधी जानकारियों का प्रेषण निराकरण।
- विधानसभा के विद्योचित कक्ष संबंधी प्रश्नों का समाधान।
- विद्योचित कक्ष द्वारा समय–समय पर जारी विज्ञप्तियों का प्रेषण।
- मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग, विभिन्न मण्डलों तथा राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से प्राप्त पत्रों का निराकरण पत्र व्यवहार के माध्यम से।
- पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों की रॉयल्टी से संबंधित कार्य।
- हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा उपरान्त प्रश्न–पत्र विश्लेषण का कार्य।
- CWSN (Children with Special Need) दिव्यांग, श्रेणी के छात्रों को परीक्षाओं में सुविधायें प्रदान करने संबंधी कार्य।
- मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों की उत्तरपुस्तिकायें मण्डल की बेवसाइट पर अपलोड किये जाने संबंधी कार्य।
- राज्य, राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले छात्रों को बोनस अंक प्रदान किये जाने संबंधी कार्य।
- हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा में नवीन व्यवसायिक शिक्षा (NSQF) संबंधी समस्त कार्य।

1. **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम समस्त विषय –**

हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के परीक्षा परिणामों मे सुधार तथा शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु शिक्षकों के विषय–ज्ञान मे गुणात्मक वृद्धि के उददेश्य से मण्डल द्वारा समय–समय पर ऑनलाइन/आफलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों यथा विभिन्न आडियो वीजुअल इत्यादि तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रमुख लक्ष्य हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी कक्षाओं मे पढाने वाले व्याख्याताओं/शिक्षकों के विषय ज्ञान को अद्यतन करना एवं आधुनिक प्रविधियों से अवगत कराते हुए शैक्षिक कुशलताओं को विकसित करना।

2. प्राश्निक अनुसीमक एवं मूल्यॉकन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

मण्डल द्वारा हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के प्रमुख विषयों हेतु आवासीय प्राश्निक अनुसीमक एवं मूल्यॉकन प्रशिक्षण कार्यक्रम विज्ञान केन्द्र, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल मे आयोजित किये जाते हैं।

आयोजित किये गये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विषय संबंधी कठिन अवधारणाओं के निराकरण के साथ ही नवीन शिक्षण पद्धतियों से भी अवगत कराया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र निमार्ण की विभिन्न तकनीकों तथा ब्ल्यू प्रिन्ट पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण मे प्रश्न पत्र निमार्ण की विभिन्न विधाओं से शिक्षकों को परिचित कराया जाता है साथ ही शिक्षकों को प्रश्न पत्रों के सटीक निर्माण, निर्धारित कठिनाई स्तर के प्रश्नो का निर्माण के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षकों को ब्लूम टेक्सानॉमी के संबंध मे भी जानकारी प्रदान की जाती है।

3. माध्यमिक शिक्षा मण्डल हेल्पलाइन –

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सत्र 2006–07 से विद्यार्थियों को परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दौरान एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा के उपरान्त होने वाले मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक तनाव व अन्य प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं के निदान तथा करियर काउंसलिंग एवं गाईडेंस हेतु हेल्पलाइन सेवा का संचालन किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हेल्पलाइन सेवा मे परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, याद करने का सही तरीका, एकाग्रता एवं भूलने की समस्या, विषय विशेषज्ञों की सहायता से विषय की कठिन अवधारणाओं का समाधान, परीक्षा संबंधी निर्देश, विद्यार्थियों हेतु आहार–विहार, अवसाद, भय एवं दुश्चिन्ताओं को दूर कैसे किया जावे, कॅरियर एवं विषय चयन हेतु मार्गदर्शन, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, परीक्षाओं मे लिखने का सही तरीक़ा आदि जानकारियां विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को प्रदान की जा रही हैं।

मण्डल द्वारा संचालित हेल्पलाइन सेवा के अन्तर्गत ''बातें काम की'' शीर्षक से विद्यार्थियों के लिये प्रेरणादायी वीडियो का निर्माण मण्डल द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतेतिक मूल्यों का संवर्धन, अनुशासन एवं मनोबल वृद्धि करना है। इन वीडियो की विषयवस्तु इस प्रकार से बनाई गई है कि इनका लाभ न सिर्फ विद्यार्थियों को मिलेगा अपितु पालकों, शिक्षकों एवं अन्य किसी भी आयु वर्ग या व्यवसाय के लोगों के लिये ये वीडियो प्रेरणादायक होंगे।

इन विडियोज़ को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के यू–टयूब चैनल पर अपलोड किया गया है जिससे कि अधिक से अधिक जन समुदाय इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आगे भी समय–समय पर अलग–अलग विषयों पर वीडियो अपलोड किये जावेंगे।

यू–ट्यूब चैनल का नाम – M.P. Board of Secondary Education (@ m.p.boardofsecondaryeducation)

यू–ट्यूब **चैनल का लिंक –https://youtube.com/@m.p.boardofsecondaryeducation**

4. **शिक्षक कल्याण कोष–**

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, **''शिक्षक कल्याण कोष''** विनियम–2005 के अन्तर्गत, शिक्षकों अथवा उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''शिक्षक कल्याण कोष'' का गठन किया गया है।

शिक्षक कल्याण कोष विनियम–2005 के अन्तर्गत, शिक्षकों अथवा उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु प्राप्त आवेदनों पर शिक्षक कल्याण कोष समिति द्वारा निर्णय उपरान्त अधिकतम सहायता राशि रूपये 100000/– प्रति आवेदक को भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2020 में 4 आवेदन प्राप्त होने पर 50,000/– की दर से कुल दो लाख रूपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2021 में 01 आवेदन प्राप्त होने पर पचास हजार रूपये का भुगतान किया गया।

5. सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप सत्र 2008–09 से प्रारम्भ की गयी थी। इसका उद्देश्य निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय दैनिक खर्चों की आर्थिक पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह छात्रवृत्ति हायर सेकण्डरी परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के कुल 4299 अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है। जिसमें से 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्राओं के लिए एवं 50 प्रतिशत छात्रों के लिये निर्धारित की गयी हैं। उपरोक्त संख्या को 3:1:3 के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों में वितरण किया जाता है।

इन अभ्यर्थियों में सभी वर्गों का कोटा आवंटित है। 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 5 प्रतिशत विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कोटा आवंटित है।

इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए मण्डल की हायर सेकण्डरी परीक्षा सत्र 2021–22 में Above 80^{th} Percentile वाले पात्र आवेदकों को सत्र 2022–23 में नियमित रूप से किसी शासकीय अथवा अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स हेतु अध्ययनरत होना चाहिए।

सभी प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक स्तर तक 4 वर्ष तथा अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तर पर प्रथम तीन वर्ष के लिए रूपये 12,000/– प्रतिवर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 20,000/– प्रतिवर्ष होती है एवं पारिवारिक आय 4.5 लाख प्रतिवर्ष से कम होना चाहिये।

6. **कोब्से**–कोब्से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र संगठन है, जिसमें 41 राज्यों के स्कूल शिक्षा बोर्ड सम्बद्ध है। कोब्से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एन.सी.ई.

आर.टी नीपा एवं एन.सी.टी.ई. के साथ शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्माण,शालाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा प्रणाली हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करता है। कोब्से द्वारा आयोजित बैठकों ,पत्राचार एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों में मण्डल की सहभागिता हेतु प्रशिक्षण केन्द्र से कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

7. **एन.सी.ई.आर.टी.**–राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता,कार्यशाला तथा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आयोजित बैठकों में मण्डल की सहभागिता हेतु कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्र से की जाती है।